न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2020

प्रविष्टि दिनांक 04.08.2020

1. मनोहरलाल पुत्र उगमाराम जाति मीणा निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
2. अशोक कुमार पुत्र रामरतन जाति मीणा निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. करतारसिंह पुत्र छगनाराम जाति मीणा निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4. रिछपाल सिंह पुत्र हरलाल जाति मीणा निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक

............प्रार्थीगण(आवेदक)

बनाम

1. देवा पुत्र सूरजा जाति भील निवासी ग्राम मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सुशीला देवी पत्नि मिश्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3. सोना देवी पत्नि नवनीत मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4. भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली जरिये उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान

............प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970

विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.05.1989

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय दिनांक 20/6/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.1989 को भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली का प्रतिपक्षी संख्या 1 देवा पुत्र सूरजा जाति भील को आवंटन किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम मानपुरा तहसील देवली के हाल खसरा नम्बर 1104/240 रकबा 2.00 हैक्टेयर है, जिस पर गत 40–50 साल से भी अधिक समय से प्रार्थी के पूर्वजों का तथा उनके बाद से लेकर आज तक प्रार्थीगण का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, वर्तमान में भी प्रार्थीगण काबिज है और काश्त कर रहे है। आवंटन के दिन भूमि रिक्त नहीं थी, बल्कि उससे पहले ही कब्जा प्रार्थीगण का था, इस कारण पूर्व से चले आ रहे काबिज व्यक्तियों को बिना सुने तथा उन्हें आवंटन की वरीयता प्रदान किये बिना किया गया आवंटन कानूनी रूप से गलत है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटन आदेश जारी करने से पहले सलाहकार समिति ने वादग्रस्त भूमि की कब्जे काश्त की स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नही की। प्रतिपक्षी संख्या 1 आवंटन के लिये पात्रता नही रखता था, उसके द्वारा धारा 101 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत भरा गया फॉर्म का कॉलम संख्या 2 रिक्त पडा हुआ है तथा उक्त प्रावधानों की किसी प्रकार पालना नही हुई है। वह आवंटन के समय ग्राम मानपुरा में नही रहता था तथा वह अब भी वहां नही रह रहा है, बल्कि वर्षो से ग्राम छोडकर ग्राम लवादर तहसील टोंक में रह रहा है, उसने कभी भी आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की है तथा एक दिन भी काबिज रह कर भूमि को काश्त नही किया है, इस कारण भी आवंटन चलने योग्य नही है, निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटन आदेश जारी करने से पहले सलाहकार समिति द्वारा भी आवंटन नियमों की पालना नही की गई है, काबिज व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रोपर उद्धघोषणा जारी नही की गई है तथा किसी प्रकार की आवंटन सूची भी नही बनाई है, पटवारी की रिपोर्ट, आवंटन आदेश तथा सुपुर्दगीनामा केवल मात्र बनावटी व दिखावटी कागज है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने आवंटन की शर्तों की उल्लंघन करके बिना किसी अधिकार के चुपचाप प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 को भूमि का बैचान कर दिया, जबकि उसका भी कब्जा नहीं था, उक्त बैचान अकृत/शून्य है, परन्तु प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 नाजायज तरीके से कानून को हाथ में लेकर शीघ्रता से प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। मूल आवंटी ने ही शर्तों की पालना नहीं की है, जबकि आज्ञापक नियमों की पालना किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने भूमि को काफी मेहनत व धन खर्च करके काबिज काश्त बनाया है तथा अब प्रतिपक्षी की नियत बिगड गई है, इस कारण वह जबरन कब्जा करना चाहती है, जिससे झगडा होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 22.05.1989 को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली का किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जावे।

अभिभाषक प्रतिपक्षीगण ने आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली का प्रतिपक्षी संख्या 1 देवा पुत्र सूरजा जाति भील को विधिवत रूप से आवंटन किया गया है जो किसी भी रूप में निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली के हाल खसरा नम्बर 1104/240 है। भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के भूमिहीन होने के आधार पर उसे नियमानुसार आवंटन किया गया है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना करने से उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी राजस्व कर्मचारी द्वारा विधिवत रूप से भरा गया है जिसका नामान्तरकरण संख्या 409 है। उसके पश्चात् प्रतिपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर आवंटन की दिंनाक से लगातार कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण भरा गया है। तब से लगातार दिनांक 12.07.2019 तक प्रतिपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर मोके पर कब्जा रहा तथा उसके पश्चात प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी पारिवारिक कार्य के लिए रकम की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिये जाने के कारण वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी संख्या 2,3 का कब्जा चला आ रहा है।

भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पटवारी हल्का से मौके की वास्तविक स्थिति तथा राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब करके उक्त आवंटन विधिवत व नियमानुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने आवंटन की शर्तों की पूर्ण रूप से पालना की है। प्रतिपक्षी संख्या 1 आवंटन के समय ग्राम मानपुरा तहसील देवली में ही निवास करता था इस सम्बन्ध में ग्राम मानपुरा की मतदाता सूची पेश की गई है जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 का नाम अंकित है जिससे भली भांति यह साबित है कि वह आवंटन के समय ग्राम मानपुरा में निवास करता रहा है।

खसरा नम्बर 1101/240 व 1104/240 तरमीम नहीं हो रखी थी तब दिनाक 15.02.2019 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा मोका पर्चा तैयार कर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार दोनों खसरा नम्बरान की तरमीम की गयी। जिस पर प्रार्थीगण एवं गांव के लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। इसके बाद दिनांक 29.07.2019 को राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का मौका पर्चा तैयार किया गया है जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 का तथा प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 का कब्जा बताया गया है तथा आज भी प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 लगातार शान्तिपूर्वक उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है जिसकी खसरा गिरदावरी की प्रति सलंग्न है।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही बिना किसी आधार के की गई है। मोके पर उक्त भूमि के किसी भू भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रतिपक्षीगण को हैरान व परेशान करने की नीयत से यह आवेदन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

झूठे व बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जाये।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि दिनांक 22.05.1989 को भू–आवंटन सलाहकार समिति देवली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली का प्रतिपक्षी संख्या 1 देवा पुत्र सूरजा जाति भील को आवंटन किया गया था। आवेदक का कथन हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त नही थी बल्कि आवेदक का कब्जा था परन्तु आवेदक ने अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए है। विपक्षी संख्या 1 के भूमिहीन काश्तकार नहीं होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है।

विपक्षी सं. 1 द्वारा ग्राम मानपुरा की मतदाता सूची पेश की गई है जिसमें विपक्षी का नाम अंकित है जिससे भली भांति यह साबित होता है कि वह आवंटन के समय ग्राम मानपुरा में निवास कर रहा था। मौका पर्चा दिनांक 29.07.2019 में भी अंकित हैं कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा चला आ रहा है एवं विपक्षी सं. 1 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि को विपक्षी सं. 2 व 3 को विक्रय किया गया है। आवंटी विपक्षी सं. 1 के पक्ष में गैर खातेदारी व खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक होने से स्पष्ट हैं कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 22.05.1989 को आराजी खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली के किये गये आवंटन को हम निरस्त करना उचित नहीं समझते है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 22.05.1989 को किया गया आराजी खसरा नम्बर 341/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली का आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सील: न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक)

([illegible] सौंकरिया)
[illegible]
अति.जिला कलेक्टर,टोंक